

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 3152/2025

गिरिराज पुगलिया पुत्र रतन लाल पुगलिया, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी दम्माणी चौक बीकानेर-334005।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, वृत्त-1, आयकर विभाग, बीकानेर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(गण) के लिए	:	श्री आदित्य विजय (वीसी के माध्यम से)
		श्री पंकज अरोड़ा
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री के.के. बिस्सा

माननीय डॉ. न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी

माननीय श्रीमान न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली

निर्णय

प्रकाशनीय

04/03/2025

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत का दावा करते हुए प्रस्तुत की गई है:

“अतः, माननीय न्यायालय के समक्ष अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि कृपया वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार किया जाए तथा एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा माननीय न्यायालय आगे यह भी कृपा करे कि:

1. मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिवादी द्वारा दिनांक 16/06/2023 **/अनुलग्नक-1/** को धारा 153सी के तहत जारी किए गए विवादित नोटिस को रद्द/अमान्य करने के लिए सर्टिओरारी या किसी अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश की प्रकृति में रिट जारी करें।
 2. दिनांक 16/06/2023 के आक्षेपित नोटिस आदेश के पारित होने के बाद सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट या परमादेश रिट या उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करें।
 3. कोई अन्य आदेश/निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित समझे।”
2. याचिकाकर्ता को यह शिकायत तब हुई जब उसे आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे '1961 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 153सी के तहत जारी दिनांक 16.06.2023 (अनुलग्नक-1) का नोटिस प्राप्त हुआ।
3. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि उसने कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए 41,89,700 रुपये की आय घोषित करते हुए अपना सामान्य रिटर्न दाखिल किया था और प्रतिवादी की ओर से इस संबंध में उसे किसी प्रकार का असंतोष नहीं था। इसके बाद, जब 13.07.2020 को जांच निदेशालय, जयपुर, राजस्थान द्वारा ओम कोठारी समूह पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई, तो याचिकाकर्ता को 1961 के अधिनियम की धारा 153सी के तहत दिनांक 16.06.2023 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक था। उसी के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 03.07.2023 को पुनः रिटर्न दाखिल किया।
- 3.1. इस बीच, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से एक संतुष्टि नोट भी माँगा, जो आक्षेपित नोटिस जारी करने का आधार होता, और दिनांक 19.12.2024 को एक आवेदन दायर करके उक्त संतुष्टि नोट माँगा गया। प्रतिवादी द्वारा यह संतुष्टि नोट प्रदान किया गया,
-

जिससे यह दर्शाया गया कि यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1961 के अधिनियम की धारा 153सी के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जानी थी।

3.2. संतुष्टि नोट में यह दर्शाया गया है कि तलाशी की कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि ओम कोठारी समूह के निदेशकों और सहयोगियों के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट हुई थीं, जिनसे यह अनुमान लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने ओम मेटल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओम कोठारी समूह की एक समूह संस्था) से कुछ भूखण्ड खरीदे हैं, और इस खरीद के लिए याचिकाकर्ता ने नकद भुगतान किया था, जिसका लेखा-जोखा बही में दर्ज नहीं किया गया था। जब तलाशी और जब्ती की गई, तो ऐसी व्हाट्सएप चैट के अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिला।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 153सी में खाता बही या जब्त किए गए दस्तावेजों या परिसंपत्तियों से उत्पन्न लापरवाही की अनिवार्य शर्त है, और यह व्हाट्सएप चैट के आधार पर नहीं हो सकती।

4.1 विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि व्हाट्सएप चैट में याचिकाकर्ता का नाम या टेलीफोन नंबर भी नहीं दर्शाया गया था और केवल एक उपनाम दर्शाया गया था जो राजस्थान राज्य में बहुत आम है।

4.2. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अधिनियम 1961 की धारा 153सी के सम्पूर्ण न्यायशास्त्र में सख्त अनुपालन की आवश्यकता है, और जब तक ऐसा अनुपालन नहीं होता, धारा 153सी के तहत नोटिस और परिणामी निष्पादन नोट कानून की दृष्टि में कायम नहीं रह सकते।

4.3. विद्वान अधिवक्ता ने दोहराया कि जब 13.07.2020 को ओम कोठारी समूह पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई थी, तो ऐसा कोई दस्तावेज या खाता या संपत्ति

की पुस्तकें नहीं मिलीं या जब्त नहीं की गई, और इस प्रकार, 1961 के अधिनियम की धारा 153 सी के प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता था।

4.4 विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि धारा 153सी के तीन आवश्यक तत्व हैं, जिनमें सबसे पहले, एक प्राथमिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिस पर तलाशी ली जानी है; दूसरा, 'तलाशी लिए गए व्यक्ति' की हिरासत में पाए गए 'अन्य व्यक्ति' से संबंधित दस्तावेजों की खोज; और तीसरा, 'अन्य व्यक्ति' के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए दोषपूर्ण सामग्री।

4.4.1 विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि स्पष्ट रूप से वर्तमान याचिकाकर्ता 'अन्य व्यक्ति' शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, और इस प्रकार, 1961 के अधिनियम की धारा 153सी केवल कानून के सीमित दायरे तक ही काम कर सकती है, जिसने प्रतिवादी को 'अन्य व्यक्ति' के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां दी हैं।

4.5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विचाराधीन व्हाट्सएप चैट उपरोक्त किसी भी दायरे में नहीं आती है और इसमें संबंधित पक्षों के बीच किसी भी प्रत्यक्ष वित्तीय संपर्क का प्रावधान नहीं है।

4.6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि विचाराधीन संतुष्टि नोट अस्पष्ट है और इसमें किसी भी प्रकार का आधार नहीं बताया गया है, जिससे वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई का औचित्य सिद्ध हो सके।

4.7. **अनवर पीवी बनाम बी.के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473 और अर्जुन पंडित राव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल, (2020) 7 एससीसी 1** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर निर्भरता प्रकट करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि व्हाट्सएप वार्तालाप और 1961 के

अधिनियम की धारा 132(4) के तहत दर्ज बयान उक्त पूर्ववर्ती कानूनों में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं होंगे। **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, (2017) 394 आईटीआर 220 एससी** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी निर्भरता प्रकट की गई है।

4.8. अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आदेश/निर्णयों का भी हवाला दिया:

(क.) आयकर उपायुक्त वृत्त 1 (4) बेंगलुरु एवं अन्य बनाम सुनील कुमार शर्मा (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 23406/2024, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21.10.2024 को पारित)।

(ख.) आयकर उपायुक्त बनाम सुनील कुमार शर्मा (रिट अपील संख्या 830 से 834/2022 (टी-आईटी) माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 22.01.2024 को पारित)।

(ग.) वेट्रीवेल मिनरल्स बनाम सहायक आयकर आयुक्त, केन्द्रीय वृत्त-2, मद्रास (डब्ल्यूपी (एमडी) संख्या 11261, 11271, 11272, 11273 और 11765/ 2021, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 03.08.2021 को पारित)।

(घ.) इशिता वाष्णेय जैन बनाम एसीआईटी, सेन सर्क-31, दिल्ली (डब्ल्यूपी .(सी) 15477/2024 और सीएम आवेदन 68370/2024, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 22.11.2024 को पारित)।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई उपरोक्त दलीलों का विरोध किया।

5.1 विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1961 के अधिनियम की धारा 153सी द्वारा प्रदत्त शक्तियां व्यापक हैं, और वर्तमान मामला ऐसा है जहां स्पष्ट रूप से व्हाट्सएप पर

पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित इनपुट थे जो 'अन्य व्यक्ति' को दोषी ठहराने के लिए थे, जो वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता है।

5.2. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि न केवल चैट को दोषपूर्ण पाया गया, बल्कि उक्त चैट में उल्लिखित लेन-देन वास्तव में हुए थे और उन लेन-देनों ने वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को प्रथम दृष्टया पुष्ट किया; फिर भी याचिकाकर्ता तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर अपना मामला बना सकता है और संबंधित नोटिस के अनुसरण में अपना बचाव प्रस्तुत कर सकता है।

5.3. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि करदाता का यह तर्क कि कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए 1961 के अधिनियम की धारा 153सी के तहत दिनांक 16.06.2023 को जारी किया गया आक्षेपित नोटिस और उसके आधार पर शुरू की गई कर निर्धारण कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि संबंधित तलाशी और जब्ती के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली या जब्त नहीं की गई।

5.4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि दिनांक 16.06.2023 का आक्षेपित नोटिस प्रतिवादी-सहायक आयकर आयुक्त, एसीआईटी वृत्त-1, बीकानेर द्वारा आकलन वर्ष 2019-20 के लिए 1961 के अधिनियम की धारा 153सी के तहत आकलन कार्यवाही शुरू करने के लिए उनकी संतुष्टि नोट को विधिवत दर्ज करने के बाद जारी किया गया था। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि आकलन अधिकारी द्वारा दर्ज की गई संतुष्टि में लेनदेन के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, जो वर्तमान याचिकाकर्ता से संबंधित ओम कोठारी समूह के निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों के फोन से मिले दस्तावेजों के व्हाट्सएप चैट और छवियों से मेल खाता था।

5.5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह कहा जा सके कि इस प्रकार प्राप्त संतुष्टि केवल व्हाट्सएप चैट पर आधारित थी, क्योंकि चैट में दिखाई

देने वाले आंकड़े समूह के प्रमुख व्यक्तियों और कर्मचारियों द्वारा बनाए गए बेहिसाब नकदी पुस्तकों के पृष्ठों की छवियों में भी दिखाई दे रहे हैं।

5.6. विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि जबकि विचाराधीन चैट में भूखण्ड संख्या 3 और 4 का उल्लेख है, जिसके लिए नकद भुगतान प्राप्त किया गया है, जो कि पुष्टिकारक प्रकृति का है और इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता- गिरिराज मेसर्स रतन इंडस्ट्रीज के मालिक पुंगलिया ने ओम कोठारी ग्रुप से भूखण्ड संख्या एसपी 818-(II)-3 और 818-(II)-4 खरीदे हैं।

5.7. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विचाराधीन जानकारी अर्थात् व्हाट्सएप चैट और दस्तावेजों की छवियां, विशिष्ट संपत्तियों और विशिष्ट प्रकृति की थीं और करदाता की लौटाई गई आय से मेल नहीं खाती थीं।

5.8. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी यह भी प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित नोटिस प्राप्त होने के बाद भी, याचिकाकर्ता के पास ऐसे आरोपों के विरुद्ध अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर हैं, और यदि उसके पास कोई ठोस बचाव है, तो वह उसे प्रस्तुत कर सकता है; जबकि वर्तमान निर्णय में यह न्यायालय तथ्यात्मक मैट्रिक्स में नहीं जाना चाहेगा, बल्कि अधिनियम 1961 की धारा 153सी के तहत नोटिस की वैधता पर ही मामले पर विचार कर सकता है।

5.9. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि संतुष्टि नोट में संबंधित पक्षों के करीबी सदस्यों के बीच व्हाट्सएप चैट और प्राप्त दस्तावेजों की छवियों में लेनदेन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, और संपत्तियों को जमीन पर भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है और ऐसी संपत्तियों के आदान-प्रदान की भी पुष्टि की गई है और इस प्रकार, जहां तक आक्षेपित नोटिस का संबंध है, संबंधित व्हाट्सएप चैट पूरी तरह से पुष्ट और परिभाषित हैं।

5.10. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि कर निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2021-22 के लिए कर निर्धारण कार्यवाही पहले ही लौटाई गई आय में कोई बदलाव किए बिना पूरी हो चुकी थी और यह केवल कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के संबंध में है कि आक्षेपित नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि प्रश्नगत दो भूखंडों के संबंध में लेनदेन से सीधे संबंधित साक्ष्य मौजूद थे।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

7. सर्वप्रथम, यह न्यायालय अधिनियम 1961 की धारा 153सी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित समझता है:

•किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण ।

153सी. (1) धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि,—

(क) जब्त या अधिगृहीत कोई धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, किससे संबंधित है; या

(ख) जब्त या अधिगृहीत कोई खाता बही या दस्तावेज, किससे संबंधित है या उसमें निहित कोई जानकारी किससे संबंधित है,

धारा 153ए में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, तो, जब्त या अधिगृहीत खाता पुस्तकें या दस्तावेज या संपत्ति ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मूल्यांकन अधिकारी को सौंप दी जाएगी और वह मूल्यांकन अधिकारी ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा और नोटिस जारी करेगा और धारा 153ए के प्रावधानों के अनुसार अन्य व्यक्ति की आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करेगा, यदि, वह मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है कि जब्त या अधिगृहीत खाता पुस्तकें या दस्तावेज या

संपत्ति ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के निर्धारण पर प्रभाव डालती हैं, जो पिछले वर्ष से संबंधित मूल्यांकन वर्ष से ठीक पहले छह मूल्यांकन वर्षों के लिए है जिसमें तलाशी की जाती है या अधिग्रहण किया जाता है और धारा 153ए की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष या वर्षों के लिए:

बशर्ते कि ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले में, धारा 153ए की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या धारा 132ए के तहत अधिग्रहण करने की तारीख के संदर्भ को ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जब्त या अधिग्रहण की गई खाता पुस्तकों या दस्तावेजों या परिसंपत्तियों को प्राप्त करने की तारीख के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार अपने द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित, ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में मामलों की श्रेणी या श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिसमें मूल्यांकन अधिकारी को पिछले वर्ष से संबंधित मूल्यांकन वर्ष से तुरंत पहले छह मूल्यांकन वर्षों के लिए कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसमें तलाशी की जाती है या अधिग्रहण किया जाता है और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष या वर्षों के लिए धारा 153ए की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर जहां कोई मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन समाप्त हो गया है।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिगृहीत या अधिगृहीत लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस पूर्व वर्ष से सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिए आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात प्राप्त की गई हैं, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई है या धारा 132क के अधीन अधिगृहीत की गई है और ऐसे कर निर्धारण वर्ष के संबंध में—

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आय विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है और धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, या

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय का विवरण प्रस्तुत किया गया है, किन्तु धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई नोटिस तामील नहीं किया गया है और धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस तामील करने की समय-सीमा समाप्त हो गई है, या

(ग) यदि ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त या अधिगृहीत लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या परिसंपत्तियों की प्राप्ति की तारीख से पूर्व कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो, किया गया है, तो ऐसा कर निर्धारण अधिकारी नोटिस जारी करेगा और धारा 153ए में उपबंधित तरीके से ऐसे कर निर्धारण वर्ष के ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय का कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करेगा।

(3) इस धारा में निहित कोई भी बात धारा 132 के तहत शुरू की गई तलाशी या खाता पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या धारा 132 ए के तहत 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद अधिगृहीत किसी भी संपत्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।

8. यह न्यायालय यह मानता है कि 1961 के अधिनियम की धारा 153सी का चरण धारा 153ए में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए संचालित होता है, क्योंकि किसी विशेष तलाशी में खाता बही या दस्तावेज या संपत्ति जब्त किए जाने के बाद, अधिकार क्षेत्र वाला मूल्यांकन अधिकारी ऐसे 'अन्य व्यक्ति' के खिलाफ कार्यवाही करेगा और नोटिस जारी करेगा और 1961 के अधिनियम की धारा 153ए के प्रावधानों के अनुसार 'अन्य व्यक्ति' की आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करेगा।

9. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि कानून में यह भी अनिवार्य किया गया है कि मूल्यांकन अधिकारी को इस बात पर संतुष्ट होना होगा कि जब्त या अधिगृहीत खाता बही या दस्तावेज या परिसंपत्तियां ऐसे 'अन्य व्यक्ति' की कुल आय के निर्धारण पर प्रभाव डालती हैं।

10. यह न्यायालय यह भी मानता है कि कानून स्वयं एक सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात्, जिस वर्ष तलाशी ली गई है या अधिग्रहण किया गया है, उससे संबंधित कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के छह कर निर्धारण वर्ष, जिनका कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और इस प्रकार, किसी व्यक्ति को 'अन्य व्यक्ति' की हैसियत से तलाशी और जब्ती में शामिल करने के लिए मापदंड मौजूद हैं।

11. **इशिता वाष्णीय जैन (उपरोक्त)** में दिए गए फैसले में, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निर्भरता प्रकट की, माननीय न्यायालय ने माना कि "न तो कोई खाता बही और न ही दस्तावेज, या तो याचिकाकर्ता से संबंधित या याचिकाकर्ता से संबंधित जानकारी वाले पाए गए"। उक्त मामले में, बिक्री का समझौता भी दो अलग-अलग पक्षों के बीच था और धारणाएं अस्पष्ट और गलत थीं। हालांकि, वर्तमान मामले में, यह धारणा नहीं है लेकिन वास्तविक भूखंड निर्धारित किए गए हैं, और जानकारी विशिष्ट भूखंड संख्या एसपी 818-(II)-3 और 818-(II)-4 से संबंधित है, जिसके संबंध में बिक्री लेनदेन ऐसी जानकारी के अनुसरण में हुआ था। संपत्तियों आदि का मूल्य भी रिकॉर्ड पर है। वर्तमान मामले में सुझावात्मक मूल्य आधार नहीं हैं। अतः उक्त निर्णय विधि वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।

12. याचिकाकर्ता की ओर से निर्भरता प्रकट किए गए **वेट्रिवेल मिनरल्स (उपरोक्त)** मामले में, माननीय न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप साक्ष्य अधिनियम के मानदंडों, विशेष रूप से उसकी धारा 65बी, का पालन किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का पालन न करने के लिए किया गया रिमांड, वर्तमान मामले का चरण नहीं है, और इस प्रकार, उक्त निर्णय विधि भी वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में कोई सहायता प्रदान नहीं करती है।

13. **सुनील कुमार शर्मा (उपरोक्त)** मामले में, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से निर्भरता प्रकट गई है, तीसरे पक्ष के पास मिले अनौपचारिक दस्तावेजों से संबंधित है, जहाँ यह स्थापित नहीं हुआ कि निर्णयों और निष्कर्षों द्वारा समर्थित पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करके अनौपचारिक दस्तावेजों को कानून में साक्ष्य माना जाना चाहिए। उक्त मामले में, 1961 के अधिनियम की धारा 132 के तहत मुख्य व्यक्ति का बयान ही वापस ले लिया गया। अनौपचारिक दस्तावेज पंचनामा आदि द्वारा समर्थित नहीं थे। कुछ नकदी बरामद हुई थी और इस प्रकार, 1961 के अधिनियम की धारा 153सी के तहत कार्यवाही को बनाए रखने के लिए नकदी के रूप में किसी भी प्रकार की धारणा बहुत अस्पष्ट थी और इस प्रकार उक्त मामले में खारिज कर दी गई।

14. यह न्यायालय मानता है कि 1961 के अधिनियम की धारा 153सी से संबंधित कानून में तलाशी और जब्ती के प्रभाव का आधार है, 'अन्य व्यक्ति' और वर्तमान मामले का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि व्हाट्सएप चैट पूरी तरह से पुष्ट है, और उक्त चैट जिसे अन्य दस्तावेजों की परिभाषा में आने वाला माना जा सकता है, वह करदाता अर्थात् याचिकाकर्ता- गिरिराज के संबंध में हुए विशिष्ट लेनदेन से पूरी तरह से पुष्ट है। पुंगलिया , मेसर्स रतन इंडस्ट्रीज के मालिक, जिन्होंने स्पष्ट रूप से ओम कोठारी ग्रुप से भूखण्ड संख्या एसपी 818-(II)-3 और 818-(II)-4 खरीदे थे; ऐसी बिक्री और खरीद एक विशेष वर्ष में विशिष्ट जानकारी के साथ सीधे स्थापित होती है, जबकि इसे करदाता द्वारा नहीं दिखाया गया है और इस प्रकार, वर्तमान मामले में प्रतिवादी द्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 153 सी के तहत शक्ति का सही ढंग से प्रयोग किया गया है।

15. व्हाट्सएप चैट वाले व्यक्ति दोनों कंपनियों से जुड़े हुए थे और लेनदेन विशिष्ट भूखंडों के संबंध में थे और नकद भुगतान का विवरण व्हाट्सएप चैट में स्पष्ट रूप से शामिल था, इस प्रकार ऐसे विशिष्ट इनपुट के साथ, इसे अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता है या

1961 के अधिनियम की धारा 153 सी के सख्त मापदंडों से प्रभावित नहीं कहा जा सकता है।

16. यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि धारा 153 सी का दायरा धारा 153 ए (तलाशी और जब्ती) से उत्पन्न होने वाले 'अन्य व्यक्ति' के रूप में कार्यवाही को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं था, बल्कि केवल इसके आह्वान को सक्षम करने के लिए था, ताकि यदि कोई भी सम्बंधित साक्ष्य जो विशिष्ट और सटीक हो, उचित तथ्यों द्वारा पुष्ट किया जाए, तो ऐसे 'अन्य व्यक्ति' के लिए बचना संभव न हो। हालांकि कानून और कानून को सख्त व्याख्या की आवश्यकता है क्योंकि यदि जानकारी अस्पष्ट है, तो उसे ऐसी कार्यवाही के लिए पुष्टिकारक सामग्री का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है, जो वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

17. इस न्यायालय ने उक्त निरीक्षण नोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है जिसमें कहा गया है कि जांच निदेशालय द्वारा 13.07.2020 को ओम कोठारी समूह पर की गई तलाशी और जब्ती की कार्रवाई से पता चलता है कि वर्तमान करदाता ने वीकेआई क्षेत्र, जयपुर में स्थित भूखण्ड संख्या एसपी 818-(II)-3 और 818-(II)-4 को मेसर्स से खरीदा था। ओम मेटल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओम कोठारी ग्रुप की एक समूह कंपनी) के लिए लेखा पुस्तकों के बाहर नकद में महत्वपूर्ण राशि का भुगतान किया गया था।

18. मोबाइल, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर में मौजूद तस्वीरें विशिष्ट थीं और 1961 के अधिनियम की धारा 131 के तहत एक कर्मचारी का बयान भी दर्ज किया गया था और बयान में लेनदेन के लिए अलिखित खातों को समझना शामिल था, जिसके संबंध में कोड भाषा का इस्तेमाल किया गया था जो इस प्रकार थी:

- 1 फ़ाइल - एक लाख रुपये
 - 1 पीस - एक 100 ग्राम सोने की पट्टी
-

- 1 किलोग्राम - एक लाख रुपये
- 1 पैकेट - एक लाख रुपये
- 100 ग्राम 20 पीस - 2 किलोग्राम सोना
- 1K 2 पीस/फाइलें - 2 किलोग्राम सोना.

19. यह न्यायालय यह भी देखता है कि वीकेआई, जयपुर में बड़े आकार के भूखण्ड यानी भूखण्ड संख्या एसपी 818-(II)-3 और 818-(II)-4 याचिकाकर्ता द्वारा खरीदे गए थे; भुगतान की गई बेहिसाब धनराशि चैट में परिलक्षित होती है; निकाले गए डिजिटल डेटा से उक्त भूखंडों की खरीद का भी पता चला; ऑन-मनी आदि व्हाट्सएप चैट और छवियों में परिलक्षित होती है; बेहिसाब नकद लेनदेन चित्रों में परिलक्षित पाए गए; बेहिसाब नकदी घटक के संबंध में संबंधित पक्षों के बीच आपत्तिजनक चैट स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई; व्हाट्सएप चैट में 08.02.2019 को 48,00,000/- रुपये की नकदी राशि का विवरण परिलक्षित हुआ; लगभग 52,00,000/- रुपये की बेहिसाब नकदी; संतुष्टि नोट में आगे नकद लेनदेन भी परिलक्षित होते हैं। प्रत्येक व्हाट्सएप चैट को दिनांक और अलग प्रविष्टियों और लेनदेन के साथ नोट में पुनः प्रस्तुत किया गया है, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संतुष्टि नोट में निम्नलिखित लेनदेन नोट किए गए हैं:

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	दिनांक	राशि (रु. में)
1	3 और 4	08.02.2019	48,00,000
2	3 और 4	09.02.2019	52,00,000
3	3 और 4	14.02.2019	1,10,00,000
4	3 और 4	14.02.2019	40,00,000
5	3 और 4	14.02.2019	50,00,000
6	3 और 4	25.02.2019	60,00,000
7	3 और 4	27.02.2019	79,52,000
8	3 और 4	कोई तारीख नहीं	13,10,000
		कुल	4,52,62,000

उपर्युक्त संतुष्टि नोट में 1961 के अधिनियम की धारा 153सी के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए संतोषजनक विवरण हैं।

20. याचिकाकर्ता की ओर से बार में उद्धृत निर्णय उसके मामले में कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

21. इस प्रकार, उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता को कोई राहत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता है।

22. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका **खारिज** की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाता है।

(चंद्र प्रकाश श्रीमाली), जे

(डॉ.पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे

3-एसकांत/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी